

पत्रांक-02 / सिरीज-05 / 2015, परि० ४८५  
बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, बिपरिसो०  
सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक- १८/६/२०२५

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-130, दिनांक-30.05.2025 के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-05BN** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-05BM** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपर सचिव, परिवहन, विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
१२/६/२५  
सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-02/सिरीज-05/2015, परि०

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, बिपरिि०से०,  
सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक—

विषय :— जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु  
नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-130, दिनांक-30.05.2025 के संबंध में  
कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया  
निबंधन सिरीज **BR-05BN** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान  
चालू सिरीज **BR-05BM** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के  
अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक  
(परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपर सचिव, परिवहन, विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त  
है।

विश्वासभाजन,

₹०/-

सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— 02/सिरीज-05/2015, परि० ५८५। पटना, दिनांक— १८/६/२०२५

प्रतिलिपि :— राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, बिहार, पटना एवं आई०टी०  
मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ₹०—३००० रुपयों में समाहित करने हेतु  
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/६/२५  
सहायक परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

“ सङ्क सुखा हमारी प्रतिबद्धता, बेहतर प्रशासन हमारा संकल्प ”